6/

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 324–तीन/15 जिला – अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–3–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जैतहरी द्वारा प्रकरण कमांक 31/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 22–1–15 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर अपील अवधि में मान्य कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनकर उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को इस आधार पर क्षमा किया गया है कि नामांतरण पंजी पर अनावेदक के हस्ताक्षर नहीं है तथा इश्तहार जारी किए जाने और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए जाने का कोई साक्ष्य पंजी में मौजूद नहीं है इस कारण उन्होंने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण में गुणदोषों पर विचार करने के आदेश दिए हैं । उनका यह आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक और समतामय है । प्रकरण का निराकरण अभी गुणदोष पर होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक :   /2015

नि०-324-III-15

1. लखन राठौर पुत्र बुद्धू राठौर,
2. डीमनशाय राठौर पुत्र बुद्धू राठौर
3. मलुकिया बाई बेवा बुद्धू राठौर

निवासीगण–जैतहरी, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर ——**आवेदकगण**

दिनांक 9-2-15 को श्री विनोद भार्गव द्वारा प्रस्तुत 9.2.15

विरूद्ध

1. रामबाई पुत्री बूद्धू राठौर पत्नी मृगकेन्द्र राठौर, निवासी–पडरिया, तहसील जैतपुर, जिला अनूपपुर
2. सीताबाई पुत्री बूद्धू राठौर पत्नी लल्ला राठौर, निवासी–धनगवां, तहसील जैतपुर, जिला अनूपपुर
3. राधाबाई पुत्री बुद्धू राठौर पत्नी सुदामा राठौर, निवासी–गोरसी, तहसील जैतपुर, जिला अनूपपुर

———**अनावेदकगण**

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर दिनांक 9-2-15

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, जैतहरी द्वारा प्र.क्र. 31/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 22/01/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> –

1. यह कि, आवेदकगण क्रमांक–1 व 2 के पिता, आवेदक क्रमांक–3 के पति बुद्धू राठौर के स्वर्गवास उपरांत आवेदकगण का विधिवत् नामांतरण अनावेदकगण की सहमति से उनकी जानकारी में दिनांक 31/01/2002 को किया गया था। नामांतरण में अनावेदकगण द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गई थी। पिता की मृत्यु के समय अनावेदकगण अपनी ससुराल से आवेदकगण के घर आई थी एवं हमेशा आती जाती रही